न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
पुनःदर्ज जीसी0एम0एसः—2012/00222
मुकदमा नम्बरः—202/2008
पुनः दर्ज मुकदमा नम्बरः— 17/2012

दर्ज दिनांक 23.10.2008

निर्णय दिंनाक 04.04.2023

1. श्रीराम आयु 45 वर्ष, पुत्र स्व. श्री रामलाल जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

वादी

बनाम

1. सन्तोष आयु 48 वर्ष
2. छोटी आयु 32 वर्ष
3. मीरा आयु 28 वर्ष
4. मोहरी आयु 24 वर्ष
5. विमला आयु 21 वर्ष

पुत्रियागण स्व. श्री रामलाल जाति जाट निवासी. रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

6. केशरदेव आयु 30 वर्ष
7. नाहर सिंह आयु 26 साल
8. मूलचन्द आयु 23 वर्ष

पुत्रगण स्व. रामलाल जाति जाट निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

9. सुगनी आयु 75 वर्ष पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
10. सेडूराम आयु 63 वर्ष पुत्र श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
11. नेतराम आयु 52 वर्ष पुत्र हेमुराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
12. खडगाराम आयु 48 वर्ष पुत्र हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
13. रामकुमार आयु 45 वर्ष पुत्र हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
14. गुगनराम आयु 43 वर्ष पुत्र हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा।
15. सुखदेवाराम आयु 40 वर्ष पुत्र हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
16. गुलाबी आयु 60 वर्ष पुत्री हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
17. मूंगी आयु 50 वर्ष पुत्री हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा
18. परमेश्वरी आयु 30 वर्ष पुत्री हेमु जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा।
19. चीमना आयु 60 वर्ष पुत्र हरू
20. धूडाराम आयु 50 वर्ष पुत्र हरू
21. भागोती आयु 63 वर्ष पुत्री हरू
22. अणची आयु 52 वर्ष पुत्री हरू
23. श्यामा आयु 55 वर्ष पुत्री हरू
24. लेखू आयु 48 वर्ष पुत्र झाबर
25. शीशपाल आयु 45 वर्ष पुत्र झाबर
26. मंगली आयु 57 वर्ष पुत्री झाबर

समस्त जातियान जाटान निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:16 IST
Reason: SelfAttested

२५६-

27. जगमाल उर्फ जगू आयु 28 वर्ष पुत्र रामेश्वर
28. प्रकाश आयु 26 वर्ष पुत्र रामेश्वर
29. मामराज आयु 22 वर्ष पुत्र रामेश्वर
30. जगदीश उर्फ सीताराम आयु 20 वर्ष पुत्र रामेश्वर
31. कमला आयु 30 वर्ष पुत्री रामेश्वर
32. छपन्नी आयु 24 वर्ष पुत्री रामेश्वर
33. बरजी आयु 70 वर्ष पत्नी रामेश्वर
34. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

दावा बाबत् घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 04.04.2023

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम रघुनाथपुरा में बल्लू पुत्र जीवन राम का एक व्यक्ति पैदा हुआ था उसके खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पुराना खसरा नम्बर 250 रकबा 2 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता स्थित थी तथा राजस्व रिकॉर्ड भी बल्लू के नाम से दर्ज था। बल्लू की काफी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। बल्लू के चार पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम क्रमशः कुरडाराम, हेमु, हरू, झाबर था इनका उक्त आराजियात में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था तथा मौके पर कब्जे काश्त थी। इन चारों की मृत्यु कई वर्षों पूर्व हो चुकी थी। उक्त आराजियात वादी की पैत्रिक है तथा रामेश्वर भी फौत हो चुका है जो झाबर का पुत्र था। पुराने खसरा न. 250 रकबा 2 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता के नये खसरा न. 506 रकबा 0.66 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 663/28 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.73 है0 स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 की संयुक्त कब्जे की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण शामलाती ही काश्त करते हैं तथा वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा इस प्रकार है– वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का हिस्सा 1/8 है तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 18 का हिस्सा 1/4 है, प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 22 का हिस्सा 1/4 है, प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 26 का हिस्सा 1/4 में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 33 का हिस्सा 1/4 में से सभी का 1/5 हिस्सा है। वादपत्र की धारा 3 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 ग्रामीण प्रवेश के व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया तथा प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 33 बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त वाद की धारा 3 में वर्णित आराजियात को विक्रय करने की धमकी दिनांक 20.08.2008 को दी तब वादी ने राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 26.08.2008 को निकलवाया तब वादी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड का मालूम पड़ा इसलिए वादी को यह वादपत्र [illegible] प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 33 ने वादी प्रतिवादी [illegible] 22 के हक व हिस्सा से इनकार हो गये तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 22 को मौके से बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:16 IST
Reason: SelfAttested

कोशिश दिनांक 10.10.2008 को की गई। प्रतिवादी संख्या 19 व 20 पुत्र स्व. हरू के है, ना कि बल्लू के हैं, झाबर मृतक पुत्र स्व. बल्लू का होना सही अंकित है, किन्तु हिस्सा 2/3 गलत दर्ज किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 30 के नाम हिस्सा 1/3 गलत दर्ज किया गया है वादपत्र की धारा 3 में वर्णित किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण का कितना हक व हिस्सा बनता है। इस प्रकार गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 33 का उक्त विवादित आराजियात का विक्रय करने की फिराक में लगे हुए हैं। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रघुनाथपुरा की सरहद में कृषि भूमि पुराना खसरा न. 250 रकबा 2 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता है, जिसके नये खसरा न. 506 रकबा 0.66 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.05 है0 तथा खसरा न. 663/28 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.73 है जो वादी की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 की पैत्रिक है। वादपत्र की धारा 3 में वर्णित किये गये हिस्से के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री जारी फरमाए जाया प्रार्थनीय है। वादपत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि में वादी के हक व हिस्से से बेदखल न तो प्रतिवादीगण करे, ना ही अपने नौकर, मित्रों व रिश्तेदारों से करवाये, ना ही उक्त भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा डाले, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अन्य अनुतोष भूलवश चाहे जाने से रह गया है तथा वादी के हक में पड़ता है तो प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को दिलाई जाना प्रार्थनीय है। अतः वादी की ओर से वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष दिये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 19 व 20 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी न 1 लगायत 19, 21, 22, 26, 31, 32 व 33, 34 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी न0 23 लगायत 25 , 27 लगायत 30 ने जबाब नही पेश करने पर जबाब का अवसर बंद किया गया।

वादी श्रीराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वाद पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है। वाद पत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी न0 1 लगायत 33 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती ही काश्त करते है। लेकिन गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी न0 23 लगायत 33 [illegible] की धारा 3 में वर्णित आराजियात को विक्रय करने की धमकी वादी को दी। यदि प्रतिवादी[illegible] अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः वादी का [illegible] स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस, पर मनन किया गया। वादपत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है तथा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:16 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत अंकित हो गया है। प्रतिवादी संख्या 19 व 20 को भी वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नही है। अतः उक्त विवेचना के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होंता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 250 रकबा 2 बीघा 17 विश्वा जिसके नये खसरा न0 506 रकबा 0.66 है0, खसरा न0 509 रकबा 0.05 है0 तथा खसरा न 0 663/28 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 में वादी व प्रतिवादी न0 1 लगायत 9 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी न0 10 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी न0 11 लगायत 18 का हि0 1/4 , प्रतिवादी न0 19 लगायत 22 का हि0 1/4 , प्रतिवादी न0 23 लगायत 26 का 1/4 हिस्सा में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 27 लगायत 33 का हिस्सा 1/4 में से सभी का 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार कि दखलंदाजी व बाधा न डाले नही करे। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

14/04/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 02 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
पुनःदर्ज जीसी0एम0एसः–2012/00222 **दर्ज दिनांक 23.10.2008**
मुकदमा नम्बरः–202/2008
पुनः दर्ज मुकदमा नम्बरः– 17/2012 **निर्णय दिंनाक 04.04.2023**
दावा घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिक्री दी जाती है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 250 रकबा 2 बीघा 17 विश्वा जिसके नये खसरा न0 506 रकबा 0.66 है0, खसरा न0 509 रकबा 0.05 है0 तथा खसरा न 0 663/28 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 में वादी व प्रतिवादी न0 1 लगायत 9 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी न0 10 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी न0 11 लगायत 18 का हि0 1/4 , प्रतिवादी न0 19 लगायत 22 का हि0 1/4 , प्रतिवादी न0 23 लगायत 26 का 1/4 हिस्सा में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 27 लगायत 33 का हिस्सा 1/4 में से सभी का 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार कि दखलंदाजी व बाधा न डाले नही करे। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

4/4/23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 04 सन 2023 को जारी की गई।

4/4/23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:16 IST
Reason: SelfAttested